।। महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर ।।

क्रमाक- सामान्य/10/2018/ 40762-883 दिनांक- 30/10/18

-: परिपत्र :-

यह देखा गया है कि कारागृहों में विभिन्न कारणों से बंदियों का मानसिक स्वास्थ्य विपरीत रूप से प्रभावित होता है जिसकी अभिव्यक्ति उनके स्वास्थ्य एवं आचरण में होती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं माननीय उच्च न्यायालय तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस बारे में समय-समय पर अपने-अपने निर्देशों में चिन्ता अभिव्यक्त की है।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए बंदियों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार हेतु विभिन्न सुधारात्मक कार्यक्रम आरम्भ किये गये हैं। इसी क्रम में बंदियों का जन्म दिन मनाये जाने हेतु सभी अधीक्षक/उपाधीक्षक को निर्देशित किया जाता है ताकि बंदियों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के साथ कारागृह में पारस्परिक सद्भाव व सहयोग का वातावरण निर्मित हो।

इस हेतु निम्नांकित कार्यवाही की जाये-

1. प्रवेश रजिस्टर/ई-प्रिजन्स में उम्र की जगह बंदी की जन्म तिथि अंकित की जाये।
2. जन्म तिथि के अंकन हेतु/पुष्टि हेतु आधार कार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि आवश्यक है।
3. कारागृह के अन्दर वार्ड में रहने वाले जिन बंदियों का जन्म दिन है, उन्हें सी.एच. डब्लयू व वार्ड इंचार्ज तथा उस वार्ड के बंदियों द्वारा शुभकामनाएँ दी जाये।
4. जन्म दिन को बंदी की परिजनों से आमने-सामने बैठाकर मुलाकात करवायी जाये। परिजनों में पति/पत्नि, माता-पिता व अवयस्क(18 वर्ष से कम आयु)बच्चें शामिल होंगे।
5. इस मुलाकात की गिनती सामान्य मुलाकात में नहीं की जायेगीं।
6. जन्म दिन में अधिकतम 2 किलोग्राम मिठाई लाने की अनुमति दी जाये। जन्म दिन पर व्यवहारिक कारणों से केक की अनुमति देना वांछित नहीं है।
7. उस दिन बंदी साफ-सुथरे कपड़े या उपलब्ध हों तो नये कपड़े पहने इसको सुनिश्चित किया जाये।
8. इस सम्बन्ध में कोई कठिनाई हो तो महानिदेशालय से सम्पर्क किया जा सकता है।

(भूपेन्द्र सिंह)
महानिदेशक
कारागार राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर ।
2. उप महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक कारागार रेंज, जयपुर/जोधपुर/उदयपुर।
4. अधीक्षक, केन्द्रीय/जिला कारागृह, राजस्थान।
5. कमाण्डेन्ट, 13वीं बटालियन, आर.ए.सी (जेल सुरक्षा), चैनपुरा, जयपुर।
6. निजी सचिव, महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त अधीक्षक/उपाधीक्षक, महानिदेशालय कारागार, जयपुर।
8. अधीक्षक, महिला बंदी सुधारगृह, जयपुर।
9. उपाधीक्षक, जिला कारागृह, राजस्थान।
10. प्रभाराधिकारी, उप कारागृह, राजस्थान।
11. समस्त शाखा प्रभारी, महानिदेशालय कारागार, जयपुर।
12. प्रभारी, कम्प्यूटर सैल, महानिदेशालय कारागार, जयपुर को वास्ते अपलोड हेतु।

(विक्रम सिंह)
उप महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान जयपुर